27/1/21 आज पंचायत समिति में | अधिवक्ता पक्ष एवं
याचिकाकर्ता प्रतिवादी वापिस / नगरी का पूरा पक्ष
रखते हुए कि खीमाड़ बिना जाता है / निर्णय व डिग्री
उलट है तैयार घर पंचायत समिति मुख्य
कि वहीं। पंचायत समिति हल्का अम्बा ऐक्स
हो कि
निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:17:31 IST
Reason: SelfAttested